सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

सूचना

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध
अनुस्मारक

एतद्द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि **महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 1688/2023 Civil Appeal No. 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक–21.05. 2025 के अनुपालन** में विश्वविद्यालय के पत्र सं0–1516 / सि0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2025, दिनांक–28. 11.2025 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय का महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0–2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 1688/2023 Civil Appeal No. 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक–21.05.2025 के अनुपालन में अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता हैं कि अपने महाविद्यालय में महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) का अनुपालन प्रत्येक दशा में दिनांक–03.12.2025 को पूर्वाह्न 12:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में मान लिया जायेगा कि आप द्वारा उक्त सूचना / प्रकरण पर महाविद्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके आधार पर शासन को अवगत करा दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

भवदीय
02/12/25
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्र सं0–1521 / सि0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2025 दिनांक– 02 / 12 / 2025

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर